प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग
संख्या–115/प्र0फी0नि0स0/2016
लखनऊ दिनांक 7 नवम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

1. उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) नियमावली 2015 अधिनियम 2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. नियमावली –2015 मे दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2017–18 से मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:–

(क) निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतु–

समूह	पाठ्यक्रमों का नाम	मानक शुल्क (रूपया)
एक	बी0टेक0/बी0आर्की0/बी0फार्मा0/बी0एफ0ए0/बी0एफ0ए0डी0	55,000.00
दो	बी0एच0एम0सी0टी0	73,000.00
तीन	एम0बी0ए0/एम0सी0ए0/एम0टेक0/एम0फार्मा0/एम0आर्च0	58,000.00

(ख) निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क

क्रमांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित शुल्क
1	तीन वर्षीय इंजीनियरिंग/फार्मेसी तथा होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम	रू0 30000.00
2	दो एवं एक वर्षीय सभी अन्य पाठ्यक्रम	रू0 21500.00

(ग) सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क

क्रमांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित शुल्क
1	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 19000.00

3. जो संस्थायें उपरोक्त निर्धारित मानक फीस को स्वीकार करना चाहती है वे समिति की बेवसाइट www.afrcup.in पर अपना ऑन लाइन आवेदन/स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध करायेगी।

4. ऐसी संस्थायें जो उक्त निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं, वे उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 के विनियम–4 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित बेवसाइट www.afrcup.in पर प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय (सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति बासमण्डी चौराहा चारबाग, लखनऊ) को उपलब्ध करायें।

5. समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि मानक शुल्क से सहमति अथवा असहमति की स्थिति में अपना विकल्प आवेदन के माध्यम से देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका शुल्क निर्धारित किया जाना सम्भव नही होगा।

मोनिका एस0गर्ग
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष

<u>सख्या एवं दिनाकं तदैव–</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक/प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र के डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
(2) कुलसचिव ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(3) उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख सचिव, सचिव, समाज कल्याण, पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(डा0 वी0एस0 सिंह)
सचिव